मुन्तकिली प्रकरण सं0 30/2017 अनवानी 1–महेन्द्रराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी 3 ए.एस. गुडली तह0 सूरतगढ़ 2–मेघराज पुत्र रामचन्द्र 3–सिलोचना पत्नि पूर्णराम 4–कुन्ता पुत्री पूर्णराम बनाम 1–पालाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी 3 ए.एस. गुडली तह0 सूरतगढ़ 2–एसबीबीजे बैंक शाखा श्रीविजयनगर 3–तहसीलदार, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्रकुमार ग्रोवर उपस्थित है उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी पालाराम की ओर से एक राजस्व वाद बेदखली एवं खाता विभाजन वाके चक 3 ए. एस. तहसील सूरतगढ के खाता सं0 44/48 पथर संख्या 170/431 (58) के कि0न0 1ता13 की 3.151 है0 नहरी, खाला भूमि में वादी की 3/7 हिस्सा में से प्रतिवादी सं0 1 व 3 एवं 3/1 से 3/5 व 4/1 को बेदखल करवाने व अच्छी में से अच्दी, खराब में से खराब के आधार पर खाता विभाजन बाबत दिनांक 04.05.2015 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया गया था और उक्त वादपत्र में प्रार्थीगण प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से काउन्टर कलेम भी पेश किया गया है और साथ ही प्रार्थना पत्र धरा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जो प्रकरण सं0 224/2015 के रूप में पंजिबद्ध हुआ और उसमें दिनांक 23.07.15 को यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जो आज भी प्रभावशील है और उक्त वाद वर्तमान में उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ के न्यायालय में लंबित है।

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 पालाराम जो कि स्थाई रूप से चक 3 ए.एस. गुडली तहसील सूरतगढ़ का रहने वाला है और उसका एक नजदीकी रिश्तेदार अनूपगढ़ क्षेत्र में रहता है जिसका अनूपगढ़ क्षेत्र में काफी असर व रसूख है तथा वह राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जिसके कारण अप्रार्थी पालाराम का पीठासीन अधिकारी से पिछली तारीख पेशी 12.04.17 को मेल मिलाप देखने को मिला और इसी दिनांक 12.04.17 को अप्रार्थी पालाराम ने ऐलानिया कहा कि उसका पीठासीन अधिकारी के यहां काफी मेल मिलाप है और उक्त मुकदमा उसके पक्ष में हो जावेगा है और यह भी कहा कि सूरतगढ से मुकदमा अनूपगढ़ आने से उसे काफी सहुलियत मिली है। इसलिए प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में लंबित राजस्व वाद संख्या 100/2015 अन्तर्गत धारा 183, 53 व 209 आरटीए अनवानी पालाराम

ज्ञानी
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बनाम महेन्द्र राम आदि एवं विविध प्रकरण सं0 224/2015 मेघराज आदि बनाम पालाराम आदि को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ अप्रार्थी पालाराम के अनूपगढ़ क्षेत्र में रहने वाली किसी नजदीकी रिश्तेदार के राजेनैतिक प्रभाव में है इसलिए उन्हे निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है।

पत्रावली में प्रस्तुत की गयी वाद सं0 102/2015 की ऑर्डर शीट दिनांक 30.12.15 से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में भी यह प्रकरण इस न्यायालय में मुन्तकिली प्रकरण सं0 70/2015 अनवानी सुलोचना बनाम मालाराम आदि के रूप में दर्ज होकर दिनांक 12.12.15 के निर्णय से निर्णित किया जाकर मूल प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया गया था। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने पूछने पर बताया गया कि पूर्व में भी उनकी प्रार्थना पर ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा मुकदमा मुन्तकिली हेतु पीठासीन अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया है कि वे अप्रार्थी पालाराम के किसी नजदीकी राजनैतिक प्रभाव वाले रिश्तेदार के प्रभाव में है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा लगाया गया उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी भी समय किसी पर भी लगाया जा सकता है।

चूंकि पूर्व में भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर मूल प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया था और अब पुनः प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में प्रकरण मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करनें की दृष्टि से ही यह पुनः मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया है जो सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

982
12.5.17

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर